

प्रेस नोट
दिनांक 06.10.2026
जनपद मऊ ।

*अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन मऊ में मंगलवार परेड में प्रतिभाग कर दिये गए आवश्यक दिशा-निर्देश-*

आज दिनांक 06.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार द्वारा पुलिस लाईन परेड ग्राउंड में मंगलवार परेड की सलामी ली गई तथा परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ लगवाई। निरीक्षण के क्रम में महोदय द्वारा यू0पी0-112 व थानों से आये वाहनों की गहनता से चेकिंग की गयी तथा पीआरवी पर तैनात पुलिस कर्मियों से वाहनों में उपलब्ध दंगा नियंत्रण/सुरक्षा उपकरणों के सम्बंध में जानकारी लेते हुए उनकी चेकिंग की गयी व तत्पश्चात क्वार्टर गार्ड, स्टोर, परिवहन शाखा, मेस, पुलिस बैरक व पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण कर साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु सम्बंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक अरुण कुमार सिंह व भारी संख्या में पुलिस अधिकारी/ कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 10,000/- (दस हजार रुपया) पीडित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा **दिनांक- 06.10.2026** को पीड़ित / आवेदक मनोज पुत्र रामसरीख निवासी लाखीपुर कुड़िया थाना घोसी जनपद मऊ के खाते से यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 10,000/- (दस हजार रुपया) MRM PORTAL के माध्यम से घोसी साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 06.10.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 27 टीम गठित कर जनपद के 27 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1350 संदिग्ध वाहनो/व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 370 वाहनो को एमवी एक्ट के अन्तर्गत चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी । यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील किया गया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें ।

थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने व तेज गति से वाहन चलाने व स्टंटबाजी करने वाले 18 शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही की गई

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने व आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन तथा थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम व मिशन शक्ति टीम द्वारा दिनांक 06.10.2026 को यातायात नियमों का पालन न करने वाले व स्टंटबाजी करने वाले तथा बिना कारण के स्कूल व कालेजों के बाहर घुमने वाले शोहदों के विरुद्ध वृहद स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया तथा चेकिंग से कुल 18 व्यक्तियों/शोहदों को पकड़ा गया तथा वाहनो का नियमानुसार चालान करते हुए शोहदों के विरुद्ध विधिक कानूनी कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा हिदायत किया गया कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें ।

***#ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत विषाक्त मिठाई कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर मृत्यु कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित* ।**

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मु०अ०सं०- 37/2019 धारा- 304 भादवि० थाना सरायलखंसी जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 06.10.2026 को मा० न्यायालय ए०एस०जे० प्रथम जनपद मऊ द्वारा विषाक्त मिठाई कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर मृत्यु कारित करने वाले दोषी अभियुक्तगण 1.इन्दूकला पाण्डेय पत्नी मोहन पाण्डेय निवासी ग्राम परसपुरा, 2.सत्य नारायण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र स्व० रामबली सिंह निवासी ग्राम डुमराव थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को 10 -10 वर्ष का कारावास व 10 -10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

***पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा चुनाव कार्यालय, जीडी कार्यालय व गणना कार्यालय का किया गया निरीक्षण, दिया गया आवश्यक दिशा-निर्देश* ।**

आज दिनांक 06.10.2026 को कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, आगामी चुनाव तैयारियों की समीक्षा तथा प्रशासनिक कार्यालयों की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा चुनाव कार्यालय, जीडी कार्यालय व गणना कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया । चुनाव कार्यालय में निर्वाचन से संबंधित तैयारियों, सुरक्षा प्रबंधों, और पूर्व के अभिलेखों की समीक्षा की गई एवं संबंधित कर्मचारियों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए गए । जीडी कार्यालय की दैनिक जीडी प्रविष्टियों, आगमन-प्रस्थान रजिस्ट्रों और उनमें दर्ज मामलों के रख- रखाव की जांच की गई । कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया । गणना कार्यालय में ड्यूटी रजिस्टर व अन्य रजिस्ट्रों, विभिन्न महत्वपूर्ण आंकड़ों, फाइलों और डेटा के रख-रखाव का निरीक्षण किया गया । अभिलेखों को पूरी तरह से अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए ।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने संबंधित कार्यालयों में साफ-सफाई और अभिलेखों के सुरक्षित रख-रखाव के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए । निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार, प्रतिसार निरीक्षक अरूण कुमार सिंह व चुनाव प्रभारी व संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

_ *विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने के क्रम में आज दिनांक 06.10.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार द्वारा समीक्षा गोष्ठी (अर्दली रूम) किया गया,* _ जिसमें क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी व प्रभारी निरीक्षक घोसी, प्रभारी निरीक्षक दोहरीघाट व थानाध्यक्ष कोपागंज व समस्त विवेचकगण उपस्थित रहे । इस दौरान पेंडिंग विवेचनाओं की गहन समीक्षा कर विवेचकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए* तथा विभिन्न बिन्दुओं क्रमशः भूमि विवाद, साम्प्रदायिक विवादों के चिन्हीकरण एवं कृत कार्यवाही, भूमि विवादों के चिन्हीकरण एवं कृत कार्यवाही, लम्बित विवेचनाओं, सीएस/एफआर, गैंगेस्टर के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, जनशिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, अपराध कार्य प्रणाली ब्यूरो की प्रगति, टाप 10/सक्रिय अपराधियों इत्यादि के सम्बन्ध में गहन समीक्षा की गयी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । साथ ही साथ आगामी त्योहारों को लेकर शांति/सुरक्षा से विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गई तथा प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेने तथा उसका निराकरण कराने, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए, धार्मिक स्थलों के आस-पास चेकिंग पार्टी निकाल कर सतर्क दृष्टि रखी जाय, संवेदनशील स्थलों तथा धार्मिक स्थलों के आस-पास नियमित रूप से पैदल गस्त किये जाय, दंगा नियन्त्रण उपकरणों को तैयारी की हालत में रखें जाय, संवेदनशील स्थानों पर आवश्यकतानुसार विशेष नजर रखी जाय तथा जनता/ जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार अच्छा बनायें रखें । तथा समस्त पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र घोसी में आगामी त्यौहार दुर्गापूजा व दशहरा, शान्ति /सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया ।